सं.12011/30/2019-प्रशासन-1(ख)

PEFF ST

भारत सरकार राजस्व विभाग ****

> नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली दिनांक : ¹³ सितम्बर 2019

सेवा में,

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

क्षया जनसूचना अधिकार पत्र दिनांक 26.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि अनुभाग को दिनांक 02.09.2019 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में, कहा जाता है कि प्रशासन 1(ख) अनुभाग के द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारियों, सीनियर सिचवालय सहायकों, जूनियर सिचवालय सहायकों एवं एक्स कैंडर स्टाफ के कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाता है, जिनका कार्यस्थल दिल्ली में ही स्थित है। इसलिए पित-पत्नी को एक ही स्थान पर पदास्थापित करने हेतु प्रकरण इस अनुभाग में विचार के लिए अभी तक नहीं आया है।

2. अपील यदि कोई हो, श्री अरविन्द सरन, निदेशक(प्रशासन) व प्रथम अपिलेट पाधिकारी, राजस्व विभाग, कमरा न.48-ए, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को इस पत्र की पाप्ति के 30 दिनों के अन्दर की जा सकती है।

भवदीय,

राधवन्य रिहेट १ (सघवेन्द्र सिहं कुशवाह) अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः आर.टी.आई. सेल, राजस्व विभाग को उनके पत्र सं.1233284ध्2019 दिनांक 02.04.2019 के संदर्भ में प्रेषित ।

13/9/2019

2